कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 923 **/11–सी–FP/UP/Trans/40906/2019, लखनऊः दिनांकः अक्टूबर** 19 **,2020**

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

विषयः– ओबरा–सी बदायूँ ट्रांसमिशन लि0 द्वारा प्रस्तावित 400 के0वी0 डबल सर्किट जौनपुर–ओबरा पारेषण लाइन के निर्माण में मीरजापुर वन प्रभाग में प्रभावित 46.778 हे0 आरक्षित व 0.101 हे0 संरक्षित वनभूमि (46.879 हे0 वनभूमि) के गैर वानिकी प्रयोग तथा प्रभावित 364 वृक्षों एवं 494 बॉस कोठी में से 238 वृक्षों एवं 290 बॉस कोठी के पातन, ओबरा वन प्रभाग में प्रभावित 2.434 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग, जौनपुर वन प्रभाग की 0.518 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं प्रभावित 28 वृक्षों में से 16 वृक्षों के पातन, वाराणसी वन प्रभाग में प्रभावित 0.265 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं प्रभावित 03 वृक्षों के पातन की अनुमति एवं कैमूर वन्यजीव प्रभाग मीरजापुर में प्रभावित 39.536 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग तथा प्रभावित 585 वृक्षों एवं 17 बॉस कोठी में से 310 वृक्षों व 09 बॉस कोठी के पातन अर्थात कुल 88.748 हे0 आरक्षित एवं 0.884 हे0 संरक्षित, कुल योग 89.632 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं प्रभावित 980 वृक्षों व 511 बॉस कोठी में से कुल 567 वृक्षों/पौधों एवं 299 बॉस कोठी के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः– भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यू0पी0/04/90/2020/एफ0सी0/875, दिनांक 08.09.2020, उ0प्र0 शासन का पत्रांक–121/81–2–2020–800(60)/2020, दिनांक 11.09.2020 एवं भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यू0पी0/04/90/2020/एफ0सी0/948, दिनांक 05.10.2020

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्रों के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर सूचना/अभिलेख मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर ने अपने पत्रांक–1447/मी0क्षे0/33, दिनांक 15.10.2020 के द्वारा संस्तुति सहित इस कार्यालय को प्रेषित किया है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण एवं उससे सम्बन्धित अभिलेखों की दो प्रतियों में इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया विषयॉकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

19/10/20

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– / FP/UP/Trans/40906/2019, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव पश्चिमी क्षेत्र, कानपुर एवं मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।
2. वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा, वाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर एवं कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मीरजापुर।
4. महाप्रबन्धक, ओबरा–सी बदायूँ ट्रांसमिशन लि0, मकान नं0–116, ग्रीन पार्क कालोनी, बिलासपुर रोड, बरेली।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-897